(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1442-पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 16-6-16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त बिलौआ तहसील डबरा, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 31/अ-12/15-16.

---

1. वकील सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह
2. श्रीमती शकुंतला पत्नी वकील सिंह

निवासीगण व कृषक ग्राम ऊदलपाड़ा
तहसील डबरा हाल निवास महलगांव
ए.जी. ऑफिस के पीछे, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती विद्या पत्नी हरनाम सिंह
ग्राम ऊदलपाड़ा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदिका

श्री कुंवर सिंह कुशवहा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त बिलौआ तहसील डबरा, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम ऊदलपाड़ा स्थित उसके स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 151 एवं 153 कुल रकबा 2.66 के सीमांकन हेतु तहसीलदार, तहसील डबरा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक वृत्त बिलौआ तहसील डबरा, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ-12/15-16 पंजीबद्ध कर दिनांक 16-6-16 को सीमांकन किया जाकर, सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :-

(1) ग्राम ऊदलपाड़ा स्थित आवेदक क्रमांक 1 के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 149/1 रकबा 1.33 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 150 रकबा 1.90 कुल रकबा 3.23 एवं आवेदक क्रमांक 2 के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की सर्वे क्रमांक 142/1 रकबा 0.88 इस प्रकार आवेदकगण की कुल रकबा 4.11 हेक्टेयर भूमि है ।

(2) आवेदकगण की भूमि से लगी हुई भूमि अनावेदिका की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 151 व 153 है, दोनों खेतों मिली हुई है ।

(3) आवेदकगण को जानकारी मिली की अनावेदिका द्वारा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से मिलकर बाला-बाला प्रकरण क्रमांक 31/15-16/अ-12 से सीमांकन कराया है तथा उक्त सीमांकन प्रकरण को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा तहसील न्यायालय में जमा न करते हुए अवैध रूप से अपने पास ही रखे हुए है । आवेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक से कई बार प्रार्थना करने पर भी सीमांकन रिपोर्ट तहसील न्यायालय में जमा नहीं किया है, इस कारण आवेदकगण को उक्त सीमांकन की नकल प्राप्त नहीं हो सकी ।

(4) आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपना आवेदन पत्र अवैध रूप से किये गये सीमांकन के विरूद्ध प्रस्तुत किया, तब तहसील न्यायालय द्वारा उक्त सीमांकन प्रकरण को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

(5) सीमांकन कार्यवाही की प्रकृति न्यायिक प्रकृति होती है और संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन के पूर्व मेड़िया कृषकों को व्यक्तिगत सूचना पत्र, सीमांकन का समय, तिथि उपस्थिति हेतु दिया जाकर सभी मेड़िया कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की जाना आवश्यक है । वर्तमान प्रकरण में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा न तो आवेदकगण को उक्त सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है और न ही मेड़िया कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया है । अत: उक्त सीमांकन प्रारंभ से शून्य एवं निष्प्रभावी होकर विधि विपरीत है ।

(6) राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा सीमांकन रिपोर्ट तहसील न्यायालय में जमा नहीं करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा अनावेदिका को अनुचित लाभ पहुंचाने एवं आवेदकगण को हानि पहुंचाने की दृष्टि से उक्त सीमांकन किया गया है, जो कि अनुचित, अवैध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से शून्य एवं निष्प्रभावी है ।

(7) उक्त सीमांकन के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 21-6-2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अनावेदिका ने अवैध रूप से बाला-बाला सीमांकन करा लिया । उक्त सीमांकन के आधार पर कोई कार्यवाही न की जाये, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर द्वारा उक्त अवैध सीमांकन के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करने के निर्देश

तहसीलदार को दिये गये थे, किन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त सीमांकन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(8) आवेदकगण को अनावेदिका के पुत्रों द्वारा उक्त अवैध सीमांकन के आधार पर भूमि छोड़ने, अन्यथा जान से मारने की धौंस दी गई है । अनावेदक के पुत्रों से धौंस मिलने पर आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में जाकर प्रकरण का पता करने पर बाबू से उक्त अवैध सीमांकन प्रकरण क्रमांक 31/15-16/अ-12 की जानकारी होने पर उनके द्वारा नकल हेतु दिनांक 12-5-17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नकल देने की तारीख दिनांक 22-5-17 नियत की गई और कई बार नकल मांगने पर आवेदकगण को नकल प्राप्त नहीं हो सकी ।

(9) ऐसा सीमांकन जो संबंधित पक्षकारों एवं मेडिया कृषकों को सूचना के बिना किया गया हो, उस सीमांकन का कानून में कोई अस्तित्व नहीं है और कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से शून्य एवं निष्प्रभावी है ।

(10) सीमांकन हेतु सटे हुए कृषकों को सूचना दी जाना चाहिए, सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए । इस तर्क के समर्थन में 2014 आर.एन. 259 एवं 2010 आर.एन. 259 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(11) उक्त सीमांकन में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा न तो आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया और न ही मेड़िया कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया, इस कारण सीमांकन प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रारंभ से शून्य एवं निष्प्रभावी है ।

(12) उक्त सीमांकन रिपोर्ट को राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध रूप से अपने ही पास रखे रहना एवं तहसील न्यायालय में जमा न करने से ही स्पष्ट है कि उक्त सीमांकन की रपोर्ट को छिपाकर रखना ही, ऐसा सीमांकन अवैध रूप से किया गया सीमांकन प्रमाणित हो जाता है और ऐसा सीमांकन शून्य एवं निष्प्रभावी है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अवैध सीमांकन निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के पैरा 1 2 व 4 से सहमत हूँ । पैरा 3 से असहमत हूँ। पैरा 5 से जानकारी थी, जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए । पैरा 6 से असहमत । पैरा 7 स्पष्ट नहीं, इसलिए असहमत । पैरा 8 गलत तथ्य लिखे हैं, असहमत । पैरा 9 जानकारी थी, सहमत

नहीं हूँ । पैरा 10, 11, 12 एवं 13 से असहमत हूँ, जबकि आवेदकगण को पूरे सीमांकन की जानकारी थी, वह जानबूझकर कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की है, वह सही होने से स्थिर रखा जाये ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के संबंध में आवेदकगण को सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है, इसलिए निगरानी समय-सीमा में ग्राह्य की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन में स्थायी सीमा चिन्हों का कोई विवरण नहीं दिया गया है और न ही कब्जे की स्थिति स्पष्ट की गई है । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थिति में अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त बिलौआ तहसील डबरा, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-16 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर